TWENTY RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये FIVE RU

575

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्र0क0 PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा/2017/4635

1. रामनारायण पिता लालजीराम आयु 67 वर्ष जाति मीणा धंधा कृषि निवासी ग्राम बंजारी
2. लखन पिता गुलाबसिंह आयु 26 वर्ष
3. आजादसिंह पिता राजाराम आयु 26 वर्ष
4. नन्नुलाल पिता केशरसिंह आयु 70 वर्ष
5. बनेसिंह पिता केशरसिंह आयु 65 वर्ष
6. हेमराज पिता मोतीसिंह आयु 60 वर्ष समस्त जाति राजपूत धंधा कृषि निवासी ग्राम बंजारी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0

——— निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. हरिचरण पिता शिवनारायण आयु 44 वर्ष जाति मीणा धंधा कृषि निवासी ग्राम बंजारी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0
2. म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0

——————— विपक्षी

24/11/17 को प्रस्तुत

24-11-17

पे0दि0 7-12-17

24/11/17

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 विरूद्ध प्र0क0 81/अ–12/2016–17 हरिचरण मीणा विरूद्ध म0प्र0 शासन मे नप्ती प्रतिवेदन दिनांक 03.06.2017 जो सीमांकन दल वृत्त 1 तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा दिया गया है से दुखी एवं परिवेदित होकर सादर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि, ग्राम बंजारी के सर्वे कमांक 174/3 रकबा 0.647 है0,

निर..............2

575

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/4635

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	